राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिलाझुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 38 / 2019 सीसीएमएस नम्बर – 2019 / 00677

1. गुलाब सिंह पुत्र श्री चिरंजी जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. मिन्दोडी उर्फ मिनोडी पुत्री चिरंजी पत्नी चन्द्रबोस जाति अहीर निवासी हाल आबाद सिसोठ तह व जिला महेन्द्रगढ(हरि.)
3. चन्दन पुत्र कन्हीराम जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान हाल आबाद नांगल खोडिया तह. बहरोड जिला अलवर (राज.)
4. तारा पुत्री कन्हीराम पत्नी जाति अहीर निवासी बुडीन तह व जिला महेन्द्रगढ(हरि.)
5. कैलाश पुत्री कन्हीराम पत्नी जाति अहीर निवासी उधीना तह. व जिला दादरी (हरि.)
6. कृष्ण पुत्र कन्हीराम जाति अहीर निवासी नांगल खोडिया तहसील बहरोड जिला अलवर (राज.)
7. लक्ष्मी पुत्री कन्हीराम पत्नी जाति अहीर निवासी बुडीन तह. व जिला महेन्द्रगढ(हरि.)
8. सन्तरा पत्नी कन्हीराम जाति अहीर निवासी नांगल खोडिया तहसील बहरोड जिला अलवर (राज.)
9. शांति उर्फ रतना पत्नी रामदत
10. विक्रम पुत्र रामदत
11. नरेन्द्र पुत्र रामदत

} नवीरा चिरंजी जाति अहीर हाल नि. नांगल खोडिया तह. बहरोड जिला अलवर

12. सरोज पुत्री रामदत पत्नी राजेश कुमार हाल निवासी गोपालपुरा तह. बुहानाजिला झुन्झुनू(राज.)
13. मनीराम पुत्र चिरंजी लाल जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
14. यादराम पुत्र चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
15. राजपाल पुत्र चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
16. सुमित्रा पुत्री चिरंजीलाल पत्नी अभय [illegible] निवासी गोपालपुरा तह. बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

———वादीगण

बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1. अनीता पुत्री रामनिवास जाति अहीर निवासी रामपुर अहीरान तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. पतासी पत्नी रामनिवास
3. रिंकू पुत्र रामनिवास
4. संदीप पुत्र रामनिवास
5. सज्जन सिंह पुत्र दोदराम समरत जाति अहीर निवासी रामपुर अहीरान तह. बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
6. अमर सिंह पुत्र श्री मूलाराम
7. अशोक पुत्र श्री मोहर सिंह
8. एकता पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह
9. कैला पुत्री श्री रामस्वरूप
10. कृष्ण कुमार पुत्र श्री प्रभातीलाल
11. खेमाराम पुत्र श्री बुद्धराम
12. खुशीराम पुत्र श्री मूलाराम
13. गोपाल पुत्र राजेन्द्र
14. चन्द्रो पत्नी रामस्वरूप
15. चन्द्रो देवी पत्नी मोहर सिंह
16. छाजूराम पुत्र ओंकार
17. शेरसिंह पुत्र श्री टीकूराम
18. विजय पुत्र श्री टीकूराम
19. मीना
20. बिमला
21. कमला
22. लाली
(19–22) पुत्रिया टीकूराम
23. ताराचन्द पुत्र घीसाराम
24. दयाराम पुत्र श्री मोहर सिंह
25. नंदकिशोर पुत्र श्री हरद्वारी
26. नरेश कुमार पुत्र श्री रामकुवार
27. नीलम पुत्री राजेन्द्र
28. प्रेम पुत्री रामस्वरूप
29. बाबुलाल पुत्र रामनरायण
30. मुकेश कुमार पुत्र श्री रामकुवार
31. मंजू पुत्री हरद्वारी
32. मेवा पुत्री रामनारायण
33. रमेश कुमार पुत्र श्री रामकुवार
34. रामेश्वर पुत्र श्री बुद्धराम
35. रामसिंह पुत्र श्री मूलाराम
36. तारावती पत्नी श्योताज
37. विनोद पुत्र श्योताज

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

...पू पुत्री [illegible]
...रदा पत्नी राजेन्द्र
...पू पुत्री हरद्वारी
...जन पुत्र मोहरसिंह
...पाल पुत्र पन्नालाल
...तारा पत्नी रामकुवार
...माली पुत्री नाराणा
...सुलताना पुत्री नाराणा
...सरती पत्नी हरद्वारी
...सुरेश कुमार पुत्र रामकुवार
...सुमित्रा पुत्री रामस्वरूप
...हनुमान पुत्र रामस्वरूप
50 हनुमान सिंह पुत्र मूलाराम
51 झाना देवी पत्नी रामकुवार
52 धन्नी पुत्री मिश्री देवी
53 नाराणी पुत्री मिश्री देवी
54 महावीर पुत्र मिश्री देवी
55 रघुवीर पुत्री मिश्री देवी जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तह. बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
56 श्रीचन्द पुत्र मिश्री देवी जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तह. बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
57 सुमित्रा पुत्री मिश्री देवी जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तह. बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
58 लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) ....प्रतिवादीगण

दावा–खाता विभाजन

उपस्थिति–
1. श्री राजेश यादव, अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. श्री विजयपाल यादव एडवाकेट प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 की ओर।
3. शेष प्रतिवादी बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

दिनांक – 02.06.2025

–: निर्णय :–

1. यह कि वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला [illegible] भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 5 रकबा 0.17 हैक्टर खसरा [illegible] 6 रकबा 0.28 हैक्टर किता 3 रकबा 0.59 हैक्टर के वादीगण एवं प्रतिवादीगण [illegible] 51 खातेदार हैं। इस भूमि मे वादी स. 1 का 1/64 हिस्सा वादी स. 2 [illegible] 1/64 हिस्सा वादी स. 3 लगायत 8 का 6/384 हिस्सा हैं अर्थात् प्रत्येक का 1/384 हिस्सा हैं। वादी स. 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

लगायत 12 का 4/256 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/256 हिस्सा है। वादी स. 13 लगायत 16 का 4/64 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/64 हिस्सा है। तथा प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 का 4/64 हिस्सा एवं प्रतिवादी स. 5 का 1/16 हिस्सा है। शेष हिस्सा प्रतिवादी स. 6 लगायत 51 का है।

2. यह कि वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 612 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 613 रकबा 0.15 हैक्टर किता 2 रकबा 0.29 हैक्टर के खातेदार वादी स. 1 का 1/24 हिस्सा वादी स. 3 लगायत 8 का 6/144 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/144 हिस्सा हैं। वादी स. 9 लगायत 12 का 4/96 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/96 हिस्सा हैं । वादी स. 13 लगायत 15 का 3/24 हिस्सा है। अर्थात् प्रत्येक का 1/24 हिस्सा हैं। प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 का 4/32 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/32 हिस्सा हैं , प्रतिवादी स. 5 का 1/32 हिस्सा है। तथा प्रतिवादी स. 5 का 1/8 हिस्सा हैं । वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 का हकपूर्वाधिकारी चिरंजीलाल एंव दोदराम सगे भाई थें । प्रतिवादी स. 5 ने इस भूमि मे से 1/3 हिस्सा अकेले ने बाद मे खरीद किया हैं जो बाद मे उसके नाम 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज हैं।

3. यह कि वाके ग्राम रायपुर अहीरान स्थित भूमि खसरा नम्बर 212 रकबा 0.50 हैक्टर खसरा नम्बर 214 रकबा 0.21 हैक्टर ,खसरा नम्बर 215 रकबा 0.30 हैक्टर ,खसरा नम्बर 350 रकबा 0.25 हैक्टर , खसरा नम्बर 351 रकबा 0.20 खसरा नम्बर 352 रकबा 0.17 हैक्टर , खसरा नम्बर 353 रकब 0.19 हैक्टर , ख.न 359 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 360 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 369 रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 370 रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 505 रकबा 0.07 हैक्टर ख.न 506 रकबा 0.08 हैक्टर खसरा नम्बर 541 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 542 रकबा 0.16 हैक्टर किता 15 रकबा 2.97 हैक्टर में वादी स. 1 का 1/64 हिस्सा वादीया स. 2 का 1/64 , वादी स. 3 लगायत 8 का प्रत्येक का 1/384 अर्थात् कुल 1/64 हिस्सा हैं। तथा वादीया स. 9 लगायत 12 का 1/64 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/256 हिस्सा हैं। वादी स. 13 लगायत 16 का 4/64 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/64 हिस्सा हैं। एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/64 अर्थात् 1/16 हिस्सा हैं। प्रतिवादी स. 5 का 1/16 हिस्सा हैं।तथा शेष भूमि की खातेदारी प्रतिवादी स. 3 लगायत 51 के नाम दर्ज हैं वादीगण एवं प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 5 अपने – अपने हिस्से पर काबिज हैं।

4. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 1लगायत 3 मे दर्ज भूमि का मौके पर पक्षकारो ने अपना बाहमी बंटवारा कर रखा हैं एवं अपने – अपने हिस्से पर काबिज हैं। बाहमी बंटवारा के अनुसार वादीगण के हिस्से में निम्नलिखित रकबा हैं।

(क). खसरा नम्बर 359 रकबा 0.20 हैक्टर सम्पूर्ण खसरा [illegible] का 1/2 भाग अर्थात् 0.15 हैक्टर रकबा खसरा नम्बर 613 सम्पूर्ण 0.15 हैक्टर [illegible] रकबा खसरा नम्बर 6 का 0.10 हैक्टर रकबा अर्थात् कुल 0.60 हैक्टर रकबा [illegible] की भूमि खसरा नम्बर 351

(ख). प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 के बाहमी बंटवारा [illegible] रकबा 0.20 हैक्टर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 215 मे से 1/2 अर्थात् 0.15 हैक्टर रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

खसरा नम्बर 541 रकबा 0.14 हैक्टर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 506 रकबा 0.07 हैक्टर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 6 का 0.05 हैक्टर रकबा अर्थात् कुल 0.61 हैक्टर रकबा। प्रतिवादी स. 5 ने खसरा नम्बर 612 व 613 का 1/3 हिस्सा खरीद किया है जिस कारण उसका खसरा नम्बर 612 मे 0.10 हैक्टर रकबा पर अलग से कब्जा है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 का परस्पर बाहमी बंटवारे अनुसार कब्जा हैं।

5. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 1 लगायत 3 मे वर्णित भूमि में खातेदारो की संख्या अधिक होने से वे सभी एक साथ उपस्थित होकर अपना विभाजन नही करवा सकते हैं। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 5 को अपने हिस्से की भूमि व सुधार कार्य करने एवं सीमाए कायम रखने में परेशानी हैं इसलिए उनके लिए अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाये जाने हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

6. यह कि वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 5 को अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।

7. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वादीगण का वाद वर्णित भूमि वाद पत्र के खण्ड न. 1 लगायत 3 मे उल्लेखित भूमि में संयुक्त खातेदार होने एवं खातेदारो की संख्या अधिक होने एवं खाता संयुक्त रहने से पैदा हुआ हैं। वैसे भी खाता विभाजन के लिए आधार विवाद सदैव बना रहता हैं इसलिए यह दावा अन्दर मियाद पेश हैं।

8. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम रायपुर अहीरान मे स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में हैं इसलिए यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

9. यह कि दावा खाता विभाजन के लिए 1/-रू. कोर्ट फीस नियत हैं अतः दावा 1/-रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।

10. यह कि वाद वर्णित भूमि का अपडेटेड रिकॉर्ड पेश है एवं वाद पत्र के समर्थन मे वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :-

(क). कि वाके ग्राम रायपुर अहीरान स्थित भूमि खसरा नम्बर 184 खसरा नम्बर 5 खसरा नम्बर 6 कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 हैक्टर खसरा नम्बर 212 रकबा 0.50 हैक्टर खसरा नम्बर 214 रकबा 0.21 हैक्टर ,खसरा नम्बर 215 रकबा 0.30 हैक्टर ,खसरा नम्बर 350 रकबा 0.25 हैक्टर , खसरा नम्बर 351 रकबा 0.20 खसरा नम्बर 352 रकबा 0.17 हैक्टर , खसरा नम्बर 353 रकब 0.19 हैक्टर , ख.न 359 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 360 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 369 रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 370 रकबा 0.15 है... खसरा नम्बर 505 रकबा 0.07 हैक्टर ख.न 506 रकबा 0.08 हैक्टर खसरा नम्बर 541 रकबा 0.14 ... नम्बर 542 रकबा 0.16 हैक्टर किता 15 रकबा 2.97 हैक्टर ... 64 हिस्सा वादीया स. 2 का 1/64 , वादी स. 3 लगायत 8 का ... 1/64 हिस्सा हैं। तथा वादीया स. 9 लगायत 12 का 1/64 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/256 हिस्सा हैं। वादी स. 13 लगायत 16 का 4/64 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/64 हिस्सा हैं। अर्थात् सम्पूर्ण भूमि मे वादीगण का 1/8 हिस्सा एव प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

4/64 एवं प्रतिवादी स. 5 का 1/16 हिस्सा अर्थात् कुल 1/8 हिस्सा का खाता विभाजित करते हुए वादीगण का खाता एक साथ एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 का खाता एक साथ रखते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 5 एवं शेष प्रतिवादीगण से खाता अलग विभाजित किया जावे एवं भूमि खसरा नम्बर 612, 613 किता 2 रकबा 0.29 हैक्टर मे वादीगण स. 1 का 1/24 वादीगण स. 3 लगायत 8 का 6/144 वादी स. 9 लगायत 12 का 4/96 तथा वादी स. 13 लगायत 15 का 3/24 अर्थात् 1/4 हिस्से का खाता वादीगण का संयुक्त रखते हुए एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 के 4/32 एवं प्रतिवादी स. 5 के 1/8 तथा प्रतिवादी स. 5 के खरीदशुद्धा 1/3 हिस्से का खाता प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 का संयुक्त रखते हुये वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 का एवं शेष प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम कर राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाने कि कृपा करें।

(बी). दावा वादीगण विरूद प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादीगण जिसके वाजिबहकदार हो प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने कि कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 की ओर से श्री विजयपाल यादव एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाबदावा एवं प्रतिदावा इस प्रकार पेश किया कि :–

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 1 मे खोदार के हिस्से सही दर्ज हैं इसलिए स्वीकार हैं।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 2 जिस भांति दर्ज हैं गलत होने से अस्वीकार हैं विवादित भूमि के खसरा नम्बर 612 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 613 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 2 कुल राकब 0.29 हैक्टर मे वादी स. 1 का 1/24 हिस्सा वादी स. 3 लगायत 8 का 6/144 हिस्सा वादी स. 9 लगायत 12 का 4/96 हिस्सा तथा वादी स. 13 लगायत 15 का 3/24 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 का 4/32 हिस्सा व प्रतिवादी स. 5 का 1/8 + 1/3 अर्थात् 11/24 हिस्सा है क्योकि वादी स. 5 ने 1/3 हिस्सा बाद मे खरीद किया है जिसका बाद मे वादी स. 5 के नाम नामान्तरकण दर्ज हो गया व इसी अनुसार काबिज कास्त है।
3. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 3 मे हिस्से सही दर्ज होने से स्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 4 गलत है स्वीकार नही है वादीगण ने विवादित भूमि का जो बंटवारा बताया हैं वह गलत दर्ज किया है बाहमी बंटवारे के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 5 ... निम्नानुसार भूमि आई हुई है वादीगण के हिस्से मे आई भूमि – ... मे से 0.13 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 0.20 हैक्टर ... रकबा 0298 मे से 0.06 खसरा नम्बर 613 रकबा 0.15 हैक्टर ... हिस्से मे बाहमी बंटवारे अनुसार हैक्टर भूमि अर्थात् कुल 0.54 हैक्टर भूमि वादीगण ... बंटवारे मे आई हुई भूमि खसरा आई हुई हैं। प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 के बाहमी बंटवारे मे आई हुई भूमि खसरा नम्बर 215 रकबा 0.30 हैक्टर मे से 0.17 नम्बर 351 रकबा 0.20 हैक्टर सम्पूर्ण खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी मुहाला

हैक्टर खसरा नम्बर 541 रकबा 0.14 हैक्टर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 505 रकबा 0.07 हैक्टर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 6 रकबा 0.28 हैक्टर मे से 0.09 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 612 रकबा 0.14 हैक्टर सम्पूर्ण अर्थात् 0.71 हैक्टर भूमि प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 के हिस्से मे आई हैं क्योकि प्रतिवादी स. 5 ने खसरा नम्बर 612, 613 मे से 1/3 हिस्सा अर्थात् 0.10 हैक्टर भूमि खरीद की हैं तथा वादीगण के हिस्से मे अन्य भूमि हाल खाता स. 19, 228 मे 0.08 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण से अधिक आई हैं तथा वादीगण के हिस्से मे हाल खाता स. 220 आया हैं जिसमे 0.08 हैक्टर भूमि कम हिस्से मे आई हैं वह भूमि विवादित भूमि मे देने की हामी वादीगण द्वारा भरी गई थी अब वादीगण के मन मे बेईमानी आ गई और वादीगण विवादित भूमि का जानबूझकर गलत तथ्य दर्ज कर गलत खाता विभाजन करवाना चाहते हैं विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा जवाबदावा के खण्ड न. 4 के अनुसार हो रखा हैं और इसी आधार पर काबिज कास्त हैं।

5. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 5 गलत हैं स्वीकार नही हैं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 तो अपनी भूमि का स्वंय भी खाता विभाजन करवाना चाहते हैं परन्तु वादीगण गलत तथ्य दर्ज कर न्यायालय व राजस्व रिकॉर्ड की आड़ मे गलत खाता विभाजन करवाना चाहते हैं।
6. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 6 गलत हैं स्वीकार नही हैं।
7. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 7 गलत हैं स्वीकार नही हैं।
8. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 8 क्षेत्राधिकार से सबधित हैं इसलिए उतर की आवश्यक्ता नही हैं।
9. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 9 कोर्ट फीस सम्बधित हैं इसलिए उतर की आवश्यक्ता नही हैं।
10. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 10 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार हैं।

अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन हैं कि वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज फरमाया जावे।

<u>प्रतिदावा–</u>

प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 की ओर से प्रतिदावा निम्न प्रकार सेवामे पेश हैं।

1. यह कि वाके ग्राम रायपुर अहीराना स्थित हाल खाता स. 221 के खसरा नम्बर 612 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 613 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 हैक्टर के खातेदार कास्तकार अनिता पुत्री रामनिवास हिस्सा 1/32 कैलाश पुत्री कन्हीराम हिस्सा 1/144, कृष्ण पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/144 गुलाब पुत्री चिरंजी हिस्सा 1/24, चन्दन पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/144 ज्ञाना देवी पत्नि रामकुमार हिस्सा 1/126 तारा पुत्री कन्हीराम हिस्सा 1/144 धन्नी पुत्री मिश्री हिस्सा 1/42, नरेन्द्र पुत्र रामदत हिस्सा 1/96 नाराणी पुत्री [illegible] हिस्सा 1/42 पतासी देवी पत्नि रामनिवास हिस्सा 1/32, बाबुलाल पुत्र राम[illegible] हिस्सा 1/126, मुकेश पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/126, मनीराम [illegible] महावीर पुत्र मिश्री देवी हिस्सा 1/42, यादराम पुत्र चिरंजी [illegible] पुत्र मिश्री हिस्सा 1/42 राजपाल पुत्र चिरंजी लाल हिस्सा 1/24, रिंकु पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/32 लक्ष्मी पुत्री कन्हीराम हिस्सा 1/144 विक्रम पुत्र रामदत हिस्सा 1/96 श्रीचन्द पुत्र मिश्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

हिस्सा 1/42 शान्ति पत्नि रामदत हिस्सा 1/96 सज्जन पुत्र दोदराम हिस्सा 1/3 + 1/8 कुल 11/24, सन्तरा पत्नि कन्हीराम हिस्सा 1/144, सन्दीप पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/32 सुमित्रा पुत्री मिश्री देवी हिस्सा 1/42, सरोज पुत्री रामदत हिस्सा 1/96 सम्वत् 2075 से 2078 दर्ज रिकॉर्ड हैं।

2. यह कि इसी ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना हाल खाता स. 40 के खसरा नम्बर 5 रकबा 0.17 हैक्टर खसरा नम्बर 6 रकबा 0.28 हैक्टर खसरा नम्बर 184 रकबा 0.14 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 हैक्टर के खातेदार कारतकार अनिता पुत्री रामनिवास हिस्सा 1/64, अमर सिंह पुत्र मूलाराम हिस्सा 1/64, अशोक पुत्र मोहर सिंह हिस्सा 1/320, केला पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/80, कैलाश पुत्री कन्हीराम हिस्सा 1/384 कृष्ण पुत्र प्रभाती लाल हिस्सा 1/32 खेमाराम पुत्र बुद्धराम हिस्सा 1/48 हिस्सा, खुशीराम पुत्र मुलाराम हिस्सा 1/64, गुलाब सिंह पुत्र चिरंजी हिस्सा 1/64, गिनोड़ी पुत्री चिरंजी हिस्सा 1/64, गोपाल पुत्र राजेन्द्र हिस्सा 1/320, चन्दन पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/384 चन्द्रो पत्नि मोहर सिंह हिस्सा 1/320, चन्द्रो पत्नि रामस्वरूप हिस्सा 1/80, छाजुराम पुत्र औकार हिस्सा 1/8 टीकुराम पुत्र नाथाराम हिस्सा 1/16, तारा पुत्री कन्हीराम हिस्सा 1/3845 ताराचन्द पुत्र घीसा हिस्सा 1/16, दयाराम पुत्र मोहर सिंह हिस्सा 1/320 नन्दकिशोर पुत्र हरद्वारी हिस्सा 1/96, नरेन्द्र पुत्र रामदत हिस्सा 1/256, नरेश कुमार पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/240, नीलम पुत्री राजेन्द्र हिस्सा 1/320 पतासी देवी पत्नि रामनिवास हिस्सा 1/4 प्रेम पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/80 बाबुलाल पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/80, मुकेश कुमार पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/240, मंजू पुत्र हरद्वारी हिस्सा 1/96, मनीराम पुत्र चिरंजी हिस्सा 1/64, मेवा पुत्री रामनारायण हिस्सा 1/80 यादराम पुत्र चिरंजी हिस्सा 1/64, रमेश कुमार पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/240, राजपाल पुत्र चिरंजी हिस्सा 1/64, रामेश्वर पुत्र बुद्धराम हिस्सा 1/48, रामसिह पुत्र मूलाराम हिस्सा 1/64, रिंकू पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/64 लक्ष्मी पुत्री कन्हीराम हिस्सा 1/384, विक्रम पुत्र रामदत हिस्सा 1/256 श्योताज पुत्र घीसा हिस्सा 1/16 शान्ति पत्नि रामदत हिस्सा 1/256 शारदा पत्नि राजेन्द्र हिस्सा 1/320, मंजू पुत्री हरद्वारी हिस्सा 1/96 सज्जन पुत्र दोदराम हिस्सा 1/16 संजय पुत्र मोहर सिंह हिस्सा 1/320 सत्यपाल पुत्र प्रभातीलाल हिस्सा 1/32, संतरा पत्नि कन्हीराम हिस्सा 1/384 संदीप पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/64, संतरा पत्नि रामकुमार हिस्सा 1/240 समानी पुत्री नाराणा हिस्सा 1/24, सरती पुत्री हरद्वारी हिस्सा 1/96, सुरेश कुमार पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/240, सरोज पुत्री रामदत हिस्सा 1/256, सुमित्रा पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/180 सीमा पुत्री रामनारायण हिस्सा 1/180 हनुमान पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/80 हनुमान पुत्र मूला हिस्सा 1/64 सम्वत् 2075 लगायत 2078 दर्ज रिकॉर्ड हैं।

3. यह कि इसी ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना हाल खाता स. 187 के खसरा नम्बर 212 रकबा 0.50 हैक्टर खसरा नम्बर 214 रकबा ... हैक्टर खसरा नम्बर 215 रकबा 0.30 हैक्टर खसरा नम्बर 350 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नम्बर ... रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 352 रकबा 0.17 हैक्टर खसरा नम्बर ... रकबा 0.19 हैक्टर खसरा नम्बर 359 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 360 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 369

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 370 रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 505 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 506 रकबा 0.08 हैक्टर ख.न 541 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 542 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 15 कुल रकबा 2.97 हैक्टर के खातेदार काश्तकार अनिता पुत्री रामनिवास हिस्सा 1/64 हिस्सा अमर सिंह पुत्र मूलाराम हिस्सा 1/32, अशोक पुत्र मोहर सिंह हिस्सा 1/192 ऐकता पुत्री राजेन्द्र हिस्सा 1/192 कैलाश पुत्री कन्हीराम हिस्सा 1/384 कृष्णा पुत्री कन्हीराम हिस्सा 1/384 खेमाराम पुत्र बुद्धराम हिस्सा 1/24 खुशीराम पुत्र मुलाराम हिस्सा 1/32 गुलाब सिंह पुत्र चिरंजी हिस्सा 1/64 गिन्दोड़ी पुत्री चिरंजी हिस्सा 1/64 गोपाल पुत्र राजेन्द्र हिस्सा 1/192 चन्दन पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/384 चन्द्रावली पत्नि रामनारायण हिस्सा 1/148 चन्द्रो देवी पत्नि मोहर सिंह हिस्सा 1/192 तारा पुत्री कन्हीराम हिस्सा 1/384 दयाराम पुत्र मोहर सिंह हिस्सा 1/192 नरेन्द्र पुत्र रामपत हिस्सा 1/256, नरेश कुमार पुत्र मराकुमार हिस्सा 1/120 नीलम पुत्री राजेन्द्र हिस्सा 1/192 पतासी पत्नि रामनिवास रामकुमार हिस्सा 1/120, मनीराम पुत्र चिरंजी हिस्सा 1/64 मेवा पुत्री रामनारायण हिस्सा 1/48 यादराम पुत्र चिरंजी लाल हिस्सा 1/64 रतना पुत्री रामदत हिस्सा 1/256, रमेश कुमार पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/4 रामेश्वर पुत्र बुद्धराम हिस्सा 1/24 रामसिंह पुत्र मूलाराम हिस्सा 1/32 रिंकु पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/64 लिक्ष्मी पुत्री कन्हीराम हिस्सा 1/384 विक्रम पुत्र रामपत हिस्सा 1/256, विजय सिंह पुत्र टीकुराम हिस्सा 1/16 शेरसिह पुत्र टीकुराम हिस्सा 1/16 शारदा पत्नि राजेन्द्र हिस्सा 1/192 सज्जन सिंह पुत्र दोदराम हिस्सा 1/16 संजय पुत्र मोहर सिंह हिस्सा 1/192 संतरा पत्नि कन्हीराम हिस्सा 1/384, संदीप पुत्र रामनिवास हिस्सा 1/64 संतरा पत्नि राकुमार हिस्सा 1/120 सुमित्रा पुत्री चिरंजी लाल हिस्सा 1/64 सुरेश कुमार पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/120 सरोज पुत्री रामपत 1/256 सीता पुत्री रामनारायण हिस्सा 1/48 हनुमान सिंह पुत्र मालाराम हिस्सा 1/32 संवत् 2075 से 2078 दर्ज रिकॉर्ड हैं।

4. यह कि विवादित भूमि का पक्षकारान मे बांहमी बंटवारा कर रखा हैं तथा बाहमी बटवारे के आधार पर अपने – अपने हिस्से पर काबिज कास्त हैं बाहमी बंटवारे के अनुसार मूल वाद के वादीगण व प्रतिदावे के प्रतिवादी स. 1 लगायत 16 के हिस्से मे निम्नलिखित रकबा हैं।

मूल वाद के वादीगण व प्रतिदावा के प्रतिवादी स. 1 लगायत 16 के हिस्से मे आई भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 0.20 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 215 मे से 0.13 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 0.15 हैक्टर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 6 रकबा 0298 मे से 0.06 हैक्टर भूमि अर्थात् कुल 0.54 हैक्टर तथा मूल वाद के प्रतिवादी स. 1 लगाय 5 व प्रतिदावा के वादीगण के हिस्से मे आई भूमि

खसरा नम्बर 351 रकबा 0.20 हैक्टर सम्पूर्ण ... 0.17 हैक्टर खसरा नम्बर 541 रकबा 0.14 खसरा नम्बर 215 रकबा 0.30 हैक्टर ... खसरा नम्बर 6 रकबा 0.28 हैक्टर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 505 रकबा 0.07 हैक्टर ... हैक्टर सम्पूर्ण अर्थात् 0.71 हैक्टर मे से 0.09 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 612 ... लगायत 5 ... प्रतिवादीगण के हिस्से हैक्टर भूमि मूल वाद के प्रतिवादी स. 1 ... रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा मे आई हैं क्योकि प्रतिवादी स. 5 ने खसरा नम्बर 612 ... 0.29 हैक्टर मे से 1/3 हिस्सा नम्बर 613 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी सुनवाई
जिला झुन्झुनूं (राज.)

मूल वाद के प्रतिवादी स. 52 लगायत 57 व प्रतिदावा के प्रतिवादी स. 63 लगायत 68 से क्रय की है तथा वाद के वादीगण व प्रतिदावा के प्रतिवादी स. 1 लगायत 16 के हिस्से मे 228 व 19 मे 0.08 हैक्टर भूमि मूल दावे के प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 व प्रतिदावा के वादीगण से अधिक आई हैं उस भूमि का बंटवारा हुआ । उस समय मूल वाद के प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 व प्रतिदावा के प्रतिवादी स. 1 लगायत 16 व मूल वाद के वादीगण ने उक्त विवादित भूमि वाद पत्र के खण्ड न. 1 लगायत 3 मे दर्ज मे से 0.08 हैक्टर भूमि अधिक दी थी। परन्तु अब मूल वाद के वादीगण व प्रतिदावा के प्रतिवादी स. 1 लगायत 16 के मन मे बेईमानी आ गई जबकि विवादित भूमि पर 0.54 हैक्टर रकबा पर मूल वाद के वादीगण प्रतिदावे के प्रतिवादी स. 1 लगायत 16 तथा 0.71 हैक्टर भूमि पर मूल वाद के प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 व प्रतिदावा के वादीगण काबिज कास्त हैं और इसी प्रकार खाता विभाजन किया जाना हैं।

5. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 1 लगायत 3 मे वर्णित भूमि मे खातेदारो की संख्या अधिक होने से एक साथ उपस्थित होकर खाता विभाजन नही करवा सकते हैं इसलिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

6. यह कि दावे के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने व खातेदारो की संख्या अधिक होने से पैदा हुआ हैं वैसे भी खाता विभाजन के लिए आधार विवाद सदैव बना रहता हैं अतः दावा सावधि पेश हैं।

7. यह कि विवादित भूमि वाके ग्राम रायपुर अहीरान मे स्थित हैं जो कि न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार मे स्थित हैं इसलिए न्यायालय श्रीमानज को यह दावा सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त हें।

8. यह कि राज. कास्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट मे दावा खाता विभाजन हेतु एक रू. कोर्ट फीस पर सहायक कलेक्टर के यहां पेश करना दर्ज हैं इसलिए 1/-रू. कोर्ट फीस पर यह वाद न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष पेश हैं।

9. यह कि वाद वर्णित भूमि का अपडेटेड रिकॉर्ड पेश हैं एवं वाद के समर्थन मे वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः प्रतिदावा पेश कर अर्ज हैं कि –

(क). कि वाके ग्राम रायपुर अहीरान स्थित हाल खाता स. 221 के खसरा नम्बर 612 रकबा 0.14 हैटर ख.न 613 रकबा 0.15 हैक्टर कुल कित 2 कुल रकबा 0.29 हैक्टर भूमि मे से प्रतिदावाकर्ता स. 1 लगायत 4 के 4/32 व प्रतिदावाकर्ता स. 5 के 11/24 हिस्से का प्रतिदावा के खण्ड न. 4 के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलहदा लगान कायम किया जावे।

(ख) कि ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना हाल खाता स. 40 के खसरा नम्बर 5 रकबा 0.[illegible] हैक्टर खसरा नम्बर 184 रकबा 0.14 हैक्टर 0.17 हैक्टर खसरा नम्बर 6 रकबा 0.[illegible] [illegible] प्रतिदावाकर्ता स. 1 लगायत 4 के कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 हैक्टर भूमि मे से [illegible] के खण्ड न. 4 के अनुसार 4/64 व प्रतिदावाकर्ता स. 5 के 1/16 हिस्से [illegible] खाता विभाजन किया जाकर अलहदा लगान कायम [illegible]

(ग). कि ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना हाल खाता स. 187 के खसरा नम्बर 212 रकबा 0.50 हैक्टर ख.न 214 रकबा 0.21 हैक्टर खसरा नम्बर 213 रकबा 0.30 हैक्टर ख.न 350

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नम्बर 351 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 352 रकबा 0.17 हैक्टर खसरा नम्बर 353 रकबा 0.19 हैक्टर खसरा नम्बर 359 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 360 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 369 रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 370 रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 505 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 506 रकबा 0.08 हैक्टर खसरा नम्बर 541 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 542 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 15 कुल रकबा 2.97 हैक्टर भूमि म से प्रतिदावाकर्ता स. 1 लगायत 4 के 1/16 व प्रतिदावाकर्ता स. 5 के 1/16 हिस्से का खाता विभाजन वाद पत्र के खण्ड न. 4 के अनुसार किया जाकर अलहदा लगान कायम किया जावे।

वादीगण की ओर से प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा का जवाब निम्न प्रकार पेश किया गया कि –

1. यह कि प्रतिदावा का खण्ड नं. 1 में भूमि का वर्णन स्वीकार है। राजस्व रिकार्ड में हिस्से दर्ज है लेकिन मौके पर बाहमी बांटवारा कर कब्जा अलग – अलग है जिसका मूल वाद के वादीगण ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है।
2. यह कि प्रतिदावा का खण्ड नं. 2 में भूमि का वर्णन एवं रकबा स्वीकार है लेकिन सभी खातेदारों ने मौके पर भूमि को अलग – अलग बंटवारा कर बाहमी विभाजन कर सीमाऐ कायम कर रखी है।। जिसके मुताबिक जवाबदाता/वादीगण अपने मूल वादपत्र के खण्ड नं. 4 के अनुसार काबिज है। क्योकि गांव रायपुर में अलग – अलग खातों की भूमि है जिनको एक साथ कर मौके पर अलग – अलग विभाजन कर काबिज है। अर्थात इस दावा में वर्णित भूमि का बाहमी बंटवारा हो रखा है।
3. यह कि प्रतिदावा का खण्ड नं. 3 में भूमि का वर्णन एवं रकबा स्वीकार है लेकिन सभी खातेदारों ने मौके पर भूमि को अलग – अलग बंटवारा कर बाहमी विभाजन कर सीमाऐ कायम कर रखी है। क्योकि गांव रायपुर में अलग – अलग खातों की भूमि है जिनको एक साथ कर मौके पर अलग – अलग विभाजन कर काबिज है। अर्थात इस दावा में वर्णित भूमि का बाहमी बंटवारा हो रखा है।

4. यह कि प्रतिदावा का खण्ड नं. 4 में भूमि का वर्णन एवं रकबा स्वीकार है। जैसा की पूर्व के खण्डों में वर्णित किया है इस दावा में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का बाहमी बंटवारा उसमें प्राप्त हिस्से के अनुसार कर रखा है। एवं शान्तिपूर्वक सभी खातेदार काबिज है। इस बाबत जवाबदाता/वादीगण ने अपने मूल वाद के खण्ड न. 4 मे स्पष्ट उल्लेख किया है। जवाबदाता/ वादीगण गुलाब वगै. के हिस्से व कब्जा में 0.6050 है. रकबा आता है तथा प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 के हिस्से मे 0.6050 है. रकबा आता है प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 को 0.61 है. रकबा दिया गया है तथा वादीगण ने 0.60 है. रकबा लिया है। वादीगण/जवाबदाताओं के हिस्से मे मौके पर खसरा नम्बर 359 रकबा 0.20 है. सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 215 का 1/2 भाग अर्थात 0.15 है. रकबा एव ख.न 613 का सम्पूर्ण 0.15 है. रकबा एवं खसरा नम्बर [illegible] है. रकबा कुल 0.60 है. रकबा जवाबदाता/ वादीगण के कब्जा कास्त में [illegible] त [illegible] प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के कब्जा कास्त मे खसरा नम्बर 351 [illegible] खसरा नम्बर 215 मे से 1/2 अर्थात 0.15 है. रकबा , खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.14 है. सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 505 का 0.07 है. सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 6 [illegible] 0.05 है. कुल 0.61 है. रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी बुहाना
तहसील (झुंझ.)

प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के कब्जा कास्ता में है तथा प्रतिवादी सं. 5 ने खसरा नम्बर 612 व 613 में से 1/3 हिस्सा खरीदा है। वह उसके नाम अलग से है जिसके अनुसार 0.29 है. में 1/3 हिस्सा के अनुसार उसके हिस्से में 0.0933 है. रकबा आता है जिस पर वह खसरा नम्बर 610 पर काबिज है। इस प्रकार इस दावा में वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 अपने हिस्से से भी 0.01 है. ज्यादा रकबा पर काबिज है। एवं दोनों पक्षों ने परस्पर रिश्तेदारों की उपस्थिति में बैठकर बाहमी बंटवारा कर अलग – अलग सीमाऐ कायम की है। खाता सं. 228 एवं खाता सं. 19 का उल्लेख प्रतिदावाकर्ताओं ने इस खण्ड में किया है। प्रतिवादी सं. 1 लगातय 5 को खाता संख्या 228 एवं खाता 19 की भूमि के विभाजन में खाता सं. 220 की भूमि मिली है। जो सड़क पर लगती है। जिसकी कीमत खाता नं. 19 व 228 की भूमि से दोगुनी है। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 ने खाता सं. 220 की भूमि व खाता संख्या 19 एवं खाता संख्या 228 की भूमि का भी सन् 1982–83 में विभाजन करवा लिया था जो प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी दोदराम एवं वादीगण के हकपूर्वाधिकारी चिरंजी ने परस्पर सहमति से विभाजन करवाया था एवं 40 वर्ष पूर्व करवाये गये विभाजन की भूमि को अब ना तो चैलेन्ज किया जा सकता है। ना ही इस प्रतिदावा में उसको चैलेन्ज किया है इसलिये प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का प्रतिदावा मय खर्चा खारीज योग्य है। वंशावली जवाबदाता/ वादीगण ने अपने मूल वाद पत्र के साथ पेश की है। चूंकि इस दावा में वंशावली का कोई विवाद नही है । प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का हिस्से में ही 0.51750 है. रकबा मुताबिक रिकार्ड के आता है तो उसे 0.72 है. रकबा विभाजन में किस प्रकार प्राप्त हो सकता है इसलिये प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का 0.61 है. रकबा पर सहमति से कब्जा है। 0.60 है. रकबा पर जवाबदाता/ वादीगण का कब्जा है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 ने 0.72 है. रकबा की मांग नाजायज की है इसलिए प्रतिवादी सं. 1लगायत 5 का प्रतिदावा खारीज योग्य है।

5. यह कि प्रतिदावा का खण्ड नं. 5 गलत होने से स्वीकार नही है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 एवं वादीगण ने व अन्य सह खातेदारों ने अपनी भूमि का मौके पर अलग – अलग विभाजन करवा लिया है। एवं मौके पर काबिज है। एवं मुताबिक बाहमी बंटवारा के जवाबदाता/ वादीगण काबिज है।
6. यह कि प्रतिदावा का खण्ड नं. 6 कानूनी है उत्तर की आवश्यकता नही है।
7. यह कि प्रतिदावा का खण्ड नं. 7 कानूनी है उत्तर की आवश्यकता नही है।
8. यह कि प्रतिदावा का खण्ड नं. 8 कानूनी है। उत्तर की आवश्यकता नही है।
9. यह कि प्रतिदावा का खण्ड नं. 9 कानूनी है। उत्तर की आवश्यकता नही है।

अतः जवाब प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 का प्रतिदावा मय खर्चा खारीज कर वादीगण का दावा मुताबिक अनुतोष के डिक्री किये जाने की कृपा करे।

उभयपक्षों द्वारा किये गये अभिवचनों के आधार पर ... निम्न विवाधक विरचित किये गये–

1. कि आया वाके ग्राम रायपुर अहीरान ... वादीगण प्रतिवादीगण ... भार वादीगण से अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

...कारी बुहाना
...झुन्झुनूं (राज.)

कि आया प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 अपने हिस्से की भूमि का खाता अलग से विभाजित करवाने के अधिकारी हैं ?

.... भार प्रतिवादी स. 1 लगायत 5

अनुतोष ?

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 मनीराम को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी प्रदर्श–1 लगायत 3 एवं नक्शा प्रदर्श 4 को प्रदर्शित करवाया गया प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य मे डी.डबलू 1 सज्जन एंव डी.डबलू 2 रिंकू को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबन्दी डी. 1 लगायत डी. 3 को प्रदर्शित करवाया गया । दोनो पक्षो की बहस सुनी गई प्रकरण का तनकीवार निर्णय इस प्रकार हैं ।

तनकी न. 1 कि आया वाके ग्राम रायपुर अहीरान स्थित वाद वर्णित भूमि का वादीगण प्रतिवादीगण से अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं ?

.... भार वादीगण

इस तनकी की सिद्धि का भार वादीगण पर था जिस पर वादीगण द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि प्रदर्श डी.1 लगायत डी. 3 के द्वारा जिस भूमि का विवरण दिया गया हैं उस भूमि का विभाजन दोनो पक्षो की समहमति से काफी समय पूर्व हो चुका हैं अर्थात् उक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारीयो के जीवनकाल मे ही उसका विभाजन हो चुका हैं एवं उस विभाजन को प्रतिवादीगण ने ना तो इस दावे मे चैलेन्ज किया हैं ना ही अलग से कोई दावा पेश किया हैं वह विभाजन अन्तिम हो चुका हैं इसलिए उस विभाजन से जो रिकॉर्ड कायम हो चुका हैं एवं विधिवत् विभाजन हो चुका हैं उसको इस प्रतिदावा मे विवादित नही किया गया सकता हैं ना ही पूर्व मे हो चुके विभाजन को नये प्रतिदावा के माध्यम से चैलेन्ज किया जा सकता हैं। एवं वर्तमान मे जो भूमि वादीगण के कब्जे मे इनके हकपूर्वाधिकारीयो के समय हुए विभाजन से कब्जे मे हैं उसके बदले मे इस भूमि मे से भूमि नही दी जा सकती हैं एव मौके पर पक्षकारो ने इस भूमि के बाबत भी पारिवारीक समझौता कर रखा हैं यह तथ्य दोनो पक्षो के अभिवचनो से भी साबित हैं तथा प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 ने जो प्रतिदावा किया हैं उसके अनुतोष मे उन्होने वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से के विभाजन की ही मांग की हैं इसलिए बिना अनुतोष के उनके कब्जे के अलावा एवं हिस्से से ज्यादा भूमि नही दी जा सकती हैं । इसलिए प्रतिदावा मे भी हिस्से से अधिक रकबा की मांग नही की गई हैं इसलिए उनके द्वारा अपने अभिवचन मे 0.07 हैक्टर भूमि अधिक दिये जाने का उल्लेख गलत किया गया हैं। एवं वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 के कब्जे मे जो भूमि हैं वह विभाजन मे उन्हे दिये [illegible] ने कोई ऐतराज नही किया गया हैं अर्थात् वाद वर्णित भूमि मे प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 [illegible] मे भूमि खसरा न. 351 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 215 मे 1/2 हिस्सा तथा [illegible] 14 हैक्टर सम्पूर्ण एव खसरा न. 505 रकबा 0.07 हैक्टर सम्पूर्ण एवं खसरा [illegible] रकबा 0.5 हैक्टर रकबा कुल 0.61 हैक्टर रकबा तथा प्रतिवादी स. 5 ने जो खसरा नम्बर 612 [illegible] 613 का 1/3 हिस्सा खरीद किया हैं वह हिस्सा उन्हे विभाजन मे दिये जो मे वादीगण को कोई आपत्ति नही हैं। तथा वादीगण को विभाजन मे भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 0.20 हैक्टर रकबा सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 215 का 1/2 भाग अर्थात् 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 613 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 6 का 0.10 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

कारी मुहाना

रकबा विभाजन मे वादीगण को दिये जाने योग्य हैं। प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 की ओर से अपने हिस्से का विभाजन करने का निवेदन किया एवं प्रतिवादी स. 5 द्वारा खरीद किये गये रकबे का निवेदन किया गया तथा दोनो ही पक्षो का मौके पर बाहमी बंटवारा होना एवं बंटवारे मे आई भूमि का खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया हैं।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर विचार किया एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया पक्षकारो ने मौके पर बाहमी बंटवारा होना स्वीकार किया हैं लेकिन अपने – अपने कब्जे मे भूमि का अलग – अलग रकबा होने का उल्लेख किया हैं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 ने अपने प्रतिदावा एवं जवाबदावा मे वादीगण का 0.54 हैक्टर रकबा एवं स्वयं का 0.72 हैक्टर रकबा होने का उल्लेख किया हैं लेकिन अपने प्रतिदावा के अनुतोष मे राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार ही विभाजन का अनुतोष चाहा हैं। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 को वादीगण से 0.18 हैक्टर रकबा अधिक नही दिया जा सकता एवं प्रतिदावाकर्ताओ को उनके द्वारा अपने प्रतिदावा मे मांगे गये अनुतोष से अधिक एवं हिस्से से अधिक रकबा नही दिया जा सकता हैं। तथा वादीगण द्वारा जो अनुतोष चाहा गया हैं वह उनके हिस्से अनुसार हैं तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 से विभाजन मे 0.01 हैक्टर रकबा कम दिये जाने का ही अनुतोष चाहा हैं ऐसी स्थिति मे वादीगण अपने हिस्से की भूमि मौके पर कब्जे कास्त को प्राथमिक्ता दिये जाने के आधार पर विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार तनकी न. 1 का निर्णय वादीगण के हक मे किया जाता हैं।

तनकी न. 2 कि आया प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 अपने हिस्से की भूमि का खाता अलग से विभाजित करवाने के अधिकारी हैं ? .... भार प्रतिवादी स. 1 लगायत 5

इस तनकी की सिद्धि का भार प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 पर था जिसके सम्बध मे उन्होने अपने जवाब दावा एवं प्रतिदावा मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि उन्हे वाद वर्णित भूमि मे उनके प्रतिदावा के अनुसार 0.72 हैक्टर रकबा विभाजन मे दिया जाना इसके विपरित वादीगण की ओर से यह निवेदन किया गया कि प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 के हिस्से के अनुसार अर्थात् प्रतिवादी स. 5 द्वारा खरीद किये गये हिस्से के अलावा इस दावा मे वर्णित भूमि मे उनका किता 15 रकबा 2.97 हैक्टर रकबा के 1/8 हिस्सा एवं किता 2 रकबा 0.29 हैक्टर मे 1/4 हिस्सा किता 3 रकबा 0.59 हैक्टर के 1/8 हिस्सा के अनुसार उनके हिस्से मे 0.52 हैक्टर रकबा आता हैं तो उन्हे 0.72 हैक्टर रकबा नही दिया जा सकता हैं एवं पक्षकारो का मौके पर कई वर्षो से अलग – अलग कब्जा हैं इसलिए किसी सह खातेदार के हिस्से को कम कर उसके बदले मे दूसरे खातेदार को अधिक रकबा दिया जाता हैं तो सहखातेदार का हिस्सा रिकॉर्ड मे एवं रकबा मौके पर कम हो जायेगा जिसकी कानून अनुमति नही देगा साथ ही मौके पर कब्जे से यदि किसी खातेदार को हटाया जाता हैं तो पक्षकारो का मौके पर विवादित एवं झगड़ा फसाद होने की पूरी सम्भावना होगी एवं मुक्दमेबाजी बढेगी इसलिए मौके पर कब्जे को प्राथमिक्ता देते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1लगायत 5 का खाता अलग ... खाता विभाजित किये जाने योग्य है। सभी खातेदारो के लिए रास्ता का ... विभाजित किये जाने योग्य हैं।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया ... साक्ष्य का अवलोकन किया डी. डब्लु 1 सज्जन सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कहा है कि जिस जमीन का मुक्दमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

...ारी पुडाना
...(राज.)

चल रहा हैं उसका भाईयो मे बैठकर निपटारा हुआ था एवं यह भी स्वीकार किया था कि वादीगण के कब्जे मे जो 5 एयर जमीन थी वह हमे दी थी एवं यह भी स्वीकार किया हैं कि हमारी जमीन को हमारे कब्जे मे आज हैं उसके अनुसार विभाजन से हम सहमत हैं। डी.डबलू 2 रिंकू ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा मे यह स्वीकार किया हैं कि विवादित भूमि का मौके पर अलग – अलग बंटवारा कर रखा हैं एवं उसी बंटवारा के अनुसार अलग – अलग कास्त कर काबिज हैं। गुलाबसिंह वर्गेरह (वादीगण) का वर्तमान मे 60 एयर हम 61 एयर पर काबिज है मौके पर सीमाए कायम कर रखी हैं इस प्रकार प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 5 के प्रतिदावा एवं उनकी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वे केवल अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी है एवं मौके पर जिस रकबा का कब्जा हैं वह रकबा वे विभाजन मे प्राथमिक्ता से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार तनकी न. 2 का निर्णय आंशिक रूप से प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 के हक मे किया जाता हैं।

अनुतोष ?

तनकी न. 1 को साबित करने मे वादीगण पूर्णतया सफल रहे हैं एवं तनकी न. 2 को प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 साबित करने मे आंशिक रूप से सफल रहे हैं। इस प्रकार दोनो ही पक्ष अपने हिस्से की भूमि मौके पर कब्जे कास्त की प्राथक्ता के आधार पर सभी खातेदारो के लिए विभाजन मे रास्ते का प्रावधान करते हुए खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की और से श्री विजयपाल यादव एडवोकेट द्वारा वकालतानामा / जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.09.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 583 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 136 दिनांक 16.01.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के अधिवक्ता द्वारा आपति पेश की गई। की प्रतिवादीगण को बिना सूचना के विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है व हिस्से व कब्जे कास्त अनुसार तैयार नही किया गया है। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति का जवाब पेश किया गया है कि विभाजन [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की उपस्थिति में ही तैयार किया गया है। [illegible] तथ्यों को छुपाया है। बहस, रिर्पोट कुर्रे व दस्तावेजो के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाता है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की आपति न्यायहित में खारिज की जाती है। किसी ने ऐतराज पेश नही किया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

— :: आदेश ::—

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रामपुर अहीरान तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.14 हैक्टर ,खसरा नम्बर 5 रकबा 0.17 हैक्टर खसरा नम्बर 6 रकबा 0.28 हैक्टर किता 3 रकबा 0.59 हैक्टर व खसरा नम्बर 612 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 613 रकबा 0.15 हैक्टर किता 2 रकबा 0.29 हैक्टर तथा भूमि खसरा नम्बर 212 रकबा 0.50 हैक्टर खसरा नम्बर 214 रकबा 0.21 हैक्टर ,खसरा नम्बर 215 रकबा 0.30 हैक्टर ,खसरा नम्बर 350 रकबा 0.25 हैक्टर , खसरा नम्बर 351 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 352 रकबा 0.17 हैक्टर , खसरा नम्बर 353 रकब 0.19 हैक्टर, ख.न 359 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 360 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 369 रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 370 रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 505 रकबा 0.07 हैक्टर ख.न 506 रकबा 0.08 हैक्टर खसरा नम्बर 541 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 542 रकबा 0.16 हैक्टर किता 15 रकबा 2.97 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 2/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर सरे इजलास सुनाया गया हैं।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

राजस्व वाद सं. 38/2019

सुमन देवी II, आर.ए.एस

जीसीएमएस नम्बर :- 2019/00677

गुलाबसिंह आदि बनाम अनिता आदि

दावा:- खाता विभाजन

वादीगण की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 5 की ओर से श्री **विजय पाल यादव** एडवोकेट की उपस्थिति में तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि –

" **न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना स्थित** भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.14 हैक्टर ,**खसरा नम्बर 5 रकबा 0.17 हैक्टर खसरा नम्बर 6 रकबा** 0.28 हैक्टर किता 3 रकबा 0.59 हैक्टर व **खसरा नम्बर 612 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 613 रकबा** 0.15 हैक्टर किता 2 रकबा 0.29 हैक्टर तथा भूमि खसरा नम्बर 212 रकबा 0. 50 हैक्टर खसरा नम्बर 214 रकबा 0.21 हैक्टर ,खसरा नम्बर 215 रकबा 0.30 हैक्टर ,खसरा नम्बर 350 रकबा 0.25 हैक्टर , खसरा नम्बर 351 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 352 रकबा 0.17 हैक्टर , खसरा नम्बर 353 रकब 0.19 हैक्टर, ख.न 359 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 360 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 369 रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 370 रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 505 रकबा 0.07 हैक्टर ख.न 506 रकबा 0.08 हैक्टर खसरा नम्बर 541 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 542 रकबा 0.16 हैक्टर किता 15 रकबा 2.97 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 2.6.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले कोर्ट मे सुनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)